झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांकः-04/कृ0के0यो0-08/2016 63 राँची/दिनांकः 16-09-16

प्रेषक,

डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,

झारखंड, रांची।

अनौपचारिक तौर पर परामर्शित द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः वर्तमान वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित National Mission on Agriculture Extension and Technology योजनान्तर्गत Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रू0 2376.006 लाख एवं राज्यांश रू0 1729.584 लाख इस प्रकार कुल रू0 4105.59 लाख (एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-9-3/2016-AE दिनांक-06.04.2016 एवं 29-05/2016- AE दिनांक-16.06.2016 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित National Mission on Agriculture Extension and Technology योजनान्तर्गत Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य हेतु कुल रू0 4105.59 लाख (एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये) के राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक-29.07.2016 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित National Mission on Agriculture Extension and Technology योजनान्तर्गत Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रू0 2376.006 लाख एवं राज्यांश रू0 1729.584 लाख इस प्रकार कुल रू0 4105.59 लाख (एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 (कृषक मित्र हेतु 50:50) है (संक्षिप्त विवरणी निम्नवत) :-

क्र0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राज्य प्रसार कार्य योजना	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2016-17	4105.59	1939.266 (60%)	1292.8444 (40%)
			436.740 (50%)	436.740 (50%)
	कुल	4105.59	2376.006	1729.584

2. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न बजटीय शीर्षान्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी -

(रू0 लाख में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100796990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01P240100796990652)	 1425.6036 1037.7504
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100109990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01P240100109990652)	 712.8018 518.8752
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100789990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01P240100789990652)	 237.6006 172.9584
	कुल योग	**4105.5900**

(एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये)

3. योजना का कार्यान्वयन मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में दिनांक-29.07.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) का अनुपालन करते हुए स्वीकृत जिलावार वित्तीय लक्ष्यों (संलग्न अनुलग्नक-1) के अनुसार किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) की मार्गदर्शिका में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखण्ड एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित जिलों के जिला कोषागार/उप कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। State Nodal Cell एवं SAMETI हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यदि सदृश्य योजना या कार्य के विरूद्ध दूसरे श्रोत से राशि का व्यय किया जा रहा है या राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो वर्त्तमान स्वीकृत राशि की निकासी रोक करके इसके निराकरण हेतु वे इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी, कृषि निदेशक एवं विभाग को देंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र 2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक 12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों (300 सहित) का अक्षरशः अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।

8. योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जाएगा।

9. स्वीकृत/विमुक्त राशि के व्यय के पश्चात् राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची एवं निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड, रांची तथा संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा

63
16-09-16

स्वीकृत/वास्तविक व्यय की गई राशि की मदवार विस्तृत विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, राँची को भेजेंगे तथा उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को उक्त स्वीकृत राशि से संबंधित अंकेक्षण का अधिकार होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची तथा संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा संपूर्ण व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेंगे तथा विधिसम्मत अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायेंगे।

अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति निदेशक समेति, झारखण्ड द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड रांची को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा/उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा एवं राज्य स्तर पर निदेशक, समेति/राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची के द्वारा किया जायेगा।

12. प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा एवं इसकी ERMS Entry सुनिश्चित की जायेगी।

13. लाभुकों का चयन प्रखण्ड स्तर से करने के उपरान्त प्रखण्ड तकनीकी दल, कृषक सूचना सलाहकार समिति, आत्मा प्रबंधन समिति एवं आत्मा शासकीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। लाभुकों की प्रत्येक कार्य अवयव की सूची पंजी में सुस्पष्ट रूप से संधारित की जायेगी तथा एक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निदेशक, समेति, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। लाभुकों की सूची वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी, जिससे सर्वसाधारण को सूचना प्राप्त हो सके एवं पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

14. योजना के मुख्य कार्य अवयव की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा सफलता की गाथाओं को संकलित किया जायेगा।

15. इस योजना का अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ समन्वय एवं अभिसरण (Convergence) किया जायेगा।

16. योजना के कार्यान्वयन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में निर्गत संकल्प सं0-3172 दिनांक-25.10.2012 तथा विभागीय आदेश सं0-3688 दिनांक-05.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-301, दि0-11.03.2015 की कंडिका-8 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक-29.07.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

63
16-09-16

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :04/कृ0के0यो0-08/2016 63 /रांची, दिनांक 16-09-16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा/सभी कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :04/कृ0के0यो0-08/2016 63 /रांची, दिनांक 16-09-16

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, राँची, दुमका एवं हजारीबाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Annexure-I

District-wise financial allocation under NMAET– SMAE Scheme during FY 2016-17

(Rs. in lakh)

Sl. No.	District	Allocation
1	Bokaro	129.330
2	Chatra	246.759
3	Deoghar	196.742
4	Dhanbad	116.401
5	Dumka	221.557
6	E. Singhbhum	173.881
7	Garhwa	164.176
8	Giridih	280.556
9	Godda	167.888
10	Gumla	159.304
11	Hazaribagh	216.091
12	Jamtara	103.221
13	Khunti	99.346
14	Koderma	97.139
15	Latehar	109.011
16	Lohardaga	101.834
17	Pakur	100.351
18	Palamau	296.788
19	Ramgarh	87.900
20	Ranchi	279.595
21	Sahebganj	141.899
22	Saraikela	133.845
23	Simdega	117.637
24	W. Singhbhum	218.433
State Nodal Cell & SAMETI		145.910
Total		**4105.594**

63
16-09-16

Secretary

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1369

पत्रांक संख्या :- 63A

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 16/09/2016

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

DR. NITIN MADAN KULKARNI
SECRETARY
AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE , NEPAL H

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वर्त्तमान वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित नेषनल मिषन आॅन एग्रीकल्चर एक्सटेंषन एंड टेकनोलाॅजी योजनान्तर्गत सब मिषन आॅन एग्रीकल्चर एक्सटेंषन (एस0एम0ए0ई0) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांष रू0 2376.006 लाख एवं राज्यांष रू0 1729.584 लाख इस प्रकार कुल रू0 4105.59 लाख (एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रषासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, योजना के
मुख्यशीर्ष - 2401-फसल कृषि-कर्म
उपमुख्य शीर्ष - 00-फसल कृषि-कर्म

लघुशीर्ष	राशि
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	☐ 1,72,95,840.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐ 10,37,75,040.00
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	☐ 5,18,87,520.00
कुलराशि :-	☐ 17,29,58,400.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
0 P240100796990652	99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक	52 - सबसिडी	
0 P240100109990652		52 - सबसिडी	
0 P240100789990652	99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी	52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1368

पत्रांक संख्या :- 63 झारखण्ड सरकार पत्रांक दिनांक :- 16/09/2016

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

DR. NITIN MADAN KULKARNI
SECRETARY

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE , NEPAL H(

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वर्त्तमान वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित नेषनल मिषन आॅन एग्रीकल्चर एक्सटेंषन एंड टेकनोलाॅजी योजनान्तर्गत सब मिषन आॅन एग्रीकल्चर एक्सटेंषन (एस0एम0ए0ई0) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांष रू0 2376.006 लाख एवं राज्यांष रू0 1729.584 लाख इस प्रकार कुल रू0 4105.59 लाख (एकतालीस करोड़ पाँच लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रषासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, केंद्र प्रयोजित
मुख्यशीर्ष - 2401-फसल कृषि-कर्म
उपमुख्य शीर्ष - 00-फसल कृषि-कर्म

लघुशीर्ष	राशि
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	□ 2,37,60,060.00
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	□ 7,12,80,180.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□ 14,25,60,360.00
कुलराशि :-	□ 23,76,00,600.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
01C240100796990652	99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक	52 - सबसिडी	
01C240100109990652		52 - सबसिडी	
01C240100789990652	99 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी	52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से